

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 1454/2016/अजमेर

सहायक आयुक्त  
वाणिज्यिक कर विभाग, वृत्त-ए, ब्यावर।

.....अपीलार्थी

बनाम  
मैसर्स गौरव स्टील्स,  
अजमेर रोड़, ब्यावर।

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ  
श्री राजीव चौधरी, सदस्य  
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई,  
उप राजकीय अभिभाषक।  
श्री जतिन हरजाई,  
अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी की ओर से


निर्णय दिनांक : 26/04/2018


निर्णय

1. अपीलार्थी-विभाग द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 02/वैट/15-16/ब्यावर में पारित किये गये आदेश दिनांक 02.02.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.01.2015 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25(1), 55 व 61(1) के तहत पारित किये गये आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी जो कि वेस्ट रबर टायर कार्बन व ऑयरन स्क्रैप का ट्रेडिंगकर्ता है, के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-द्वितीय, वृत्त-ब्यावर (जिसे आगे "जांच अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 30.10.2014 को किया गया। वक्त सर्वेक्षण जांच अधिकारी ने पाया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि की प्रथम त्रैमास से संबंधित विवरण प्रपत्र वैट-10 ऑनलाईन में खरीद विक्रय "शून्य" दर्शायी गयी है। इसी क्रम में वैट-07 ए व वैट-08ए भी "शून्य" घोषित कर विभागीय पोर्टल पर दाखिल किये गये हैं। जबकि वक्त सर्वेक्षण जांच अधिकारी ने प्रत्यर्थी फर्म द्वारा संधारित बिल बुक में 5 प्रतिशत की कर दर से कर योग्य कुल बिक्री रुपये 3,41,20,300/- किया जाना पाया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा दिनांक 19.11.2014 को आलौच्य अवधि की प्रथम त्रैमास की संशोधित वैट-10 समयावधि में रुपये 3,14,73,205.65 का विक्रय व द्वितीय त्रैमास से संबंधित वैट-10 में रुपये 2,75,19,357.75 का विक्रय घोषित कर, ऑनलाईन विभागीय पोर्टल पर दाखिल की गयी।

जांच अधिकारी द्वारा व्यवहारी के पूर्व में "शून्य" बिक्री का रिटर्न प्रस्तुत करने तथा सर्वेक्षण कार्यवाही पश्चात् रिटर्न प्रस्तुत करने के कृत्य को करापवंचन का कृत्य अवधारित कर, अधिनियम की धारा 61(1) के तहत अभियोग दर्ज किया गया एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्धारण अधिकारी को प्रकरण प्रेषित किया।



  
26/04/18

लगातार.....2

निर्धारण अधिकारी ने उक्त आधार पर प्रत्यर्थी व्यवहारी को रुपये 3,32,73,003/- पर करारोपण की कार्यवाही प्रस्तावित कर, अधिनियम की धारा 25(1), 55, 26(1) व अधिनियम की धारा 61(1) के तहत कर की दोगुना शास्ति के आरोपण हेतु नोटिस जारी किया।

विभागीय प्रतिनिधि ने निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन किया।


अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि अर्थात् दिनांक 01.04.2014 से दिनांक 30.06.2014 के मध्य रुपये 3,14,73,205/- का विक्रय किया था जिसके संबंध में रिवाईज्ड रिटर्न पूरा कर जमा करवाकर दिनांक 19.11.2014 को फाईल कर दिया गया था एवं उक्त रिटर्न जमा करवाने से पूर्व ही दिनांक 16.08.2014 को रुपये 10,00,000/- कर राशि के एवज में राजकोष में जमा करवा दिये गये थे। जहां तक विवरण प्रपत्र "शून्य" विक्रय राशि का फाईल करने का प्रश्न है, कथन किया कि विभागीय पोर्टल/सर्वर डाउन होने के कारण व्यवहारी द्वारा विवरण प्रपत्र "शून्य" मांग में फाईल किया गया। कथन किया कि पूर्व में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा इसी प्रकार से रिटर्न फाईल किये जाते रहे हैं। इस संबंध में विशिष्ट रूप से कथन किया कि व्यवहारी द्वारा अग्रिम कर रुपये 10,00,000/- दिनांक 16.08.2014 को राजकोष में जमा करवा दिये गये थे जबकि व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण विभाग के अधिकारियों द्वारा दिनांक 30.10.2014 को किया गया था। अतः स्पष्ट है कि सर्वेक्षण से पूर्व ही प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि में बनने वाले कर को जमा करवा दिया गया था अतः करापवंचन का प्रश्न ही नहीं रह जाता है। फिर भी जांच व निर्धारण अधिकारी द्वारा रिवाईज्ड रिटर्न को न मानकर केवल पूर्व में दाखिल विवरण प्रपत्र को "शून्य" होना अवधारित कर, करापवंचन का अभियोग दर्ज कर, करारोपण किया गया है। इस संबंध में ध्यानाकर्षित किया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा उसी पण्यावर्त को ही निर्धारण हेतु लिया गया है जो व्यवहारी द्वारा संशोधित बिक्री विवरण प्रपत्रों में घोषित की गयी है। अपने उक्त तर्क के समर्थन में माननीय राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टांतों 29 टैक्स अपडेट 107, 24 टैक्स अपडेट 51, 27 टैक्स अपडेट 43, 4 टैक्स अपडेट 8, (2010) 13 वीआर 213 को प्रोद्धरित कर, प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

3. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया।

4. प्रकरण में मूल रूप से विवाद यह है कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रथम त्रैमास का विवरण प्रपत्र "शून्य" टर्नओवर के साथ समयावधि में प्रस्तुत कर दिया गया परन्तु दिनांक 30.10.2014 को विभाग की टीम द्वारा जांच पर पाया कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रथम तिमाही में रुपये 3,41,20,300/- की बिक्री की गयी थी जिसके नियमित बिल जारी किये गये थे। जांच के पश्चात् संशोधित रिटर्न दिनांक 19.11.2014 को पेश कर दिया गया जिसमें बिलों के अनुसार पूर्ण विक्रय रुपये 3,14,73,205/- दर्शाया गया था।

प्रत्यर्थी के विरुद्ध यह अभियोग बनाया गया कि प्रथम त्रैमास के वास्तविक विक्रय को विवरण प्रपत्रों में नहीं दर्शाकर "शून्य" विक्रय दर्शाया एवं विवरण प्रपत्रों से बिक्री को conceal करने के आधार पर अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति आरोपण हेतु सुनवायी का अवसर प्रदान करने पर जवाब प्रस्तुत किया कि एकाउण्टेंट द्वारा बुक तैयार नहीं होने से विवरण पत्रों को समय पर प्रस्तुत नहीं करने के अपराध में विलम्ब शुल्क से बचने के



  
26/04/18

लिए एक बार समय पर विवरण प्रपत्र "शून्य" विक्रय का दर्शाया गया परन्तु यह भी बता दिया गया कि उनके द्वारा विक्रय राशि पर संग्रहित टैक्स सर्वेक्षण के दो माह पहले ही रूपये 10,00,000/- दिनांक 16.08.2014 को जमा करवाया जा चुका था और रिवाईज्ड रिटर्न भी समयावधि में प्रस्तुत कर दिये थे।

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी के जवाब को अस्वीकार कर मैसर्स बालाजी मोल्स के माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए स्पष्टीकरण को अस्वीकार कर दिया है जो उचित नहीं है क्योंकि उस निर्णय में विवरण प्रपत्रों की बिक्री राशियों में परिवर्तन परिवर्तन को अनुमत नहीं किया था एवं शास्ति का प्रश्न नहीं था जबकि इस प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वयं ने विवरण प्रपत्रों को स्वीकार किया है एवं यहां केवल शास्ति आरोपण के औचित्य पर निर्णय लिया जाना था।

इस प्रकरण में अहम तथ्य यह है कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रथम तिमाही के विवरण प्रपत्र में "शून्य" विक्रय दर्शायी है परन्तु वास्तविक रूप से विक्रय पर करापवंचन नहीं करने का तथ्य भी प्रमाणित था क्योंकि वक्त सर्वेक्षण प्रत्यर्थी द्वारा पूर्ण बहियात पेश की जिसमें उनके द्वारा किया गया पूर्ण विक्रय घोषित था एवं इसी घोषित विक्रय के लिए संग्रहित कर भी सर्वेक्षण के दिन के दो माह पहले ही रूपये 10,00,000/- दिनांक 16.08.2014 को ही जमा था इससे यह प्रमाणित है कि व्यवसायी की कर चोरी की मंशा नहीं थी वरना कर जमा करवाने का प्रश्न ही नहीं था एवं बहियात में पूर्ण विक्रय घोषित भी किया हुआ था।

उपर्युक्त विवेचन अनुसार प्रकरण में प्रत्यर्थी की ओर से करापवंचन का कोई कृत्य नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में धारा 61 में शास्ति आरोपण किया जाना विधिसम्मत नहीं है। सुनवायी के समय पूर्ण पारदर्शिता से यह बताया गया था कि केवल रिटर्न के विलम्ब शुल्क से बचने के लिए ही "शून्य" रिटर्न पेश किये थे जबकि कर "जमा" था एवं बहियात में पूर्ण लेखांकन था ऐसी स्थिति में, यह करापवंचन का मामला न होकर रिटर्न के विलम्ब शुल्क के बचाव का ही प्रकरण मात्र था। प्रकरण में कर चोरी का कोई प्रयास भी नहीं है क्योंकि विक्रय संव्यवहार पूर्णतया बहियात में दर्ज है। व्यवसायी ने घोषित विक्रय के लिए संग्रहित कर भी सर्वेक्षण के दिन के 2 माह पहले ही 10,00,000/- रूपये दिनांक 16.08.2014 को ही जमा करा दिया था। जिससे यह प्रमाणित होता है कि व्यवसायी की कर चोरी की मंशा नहीं थी अन्यथा वह उक्त कर की राशि क्यों जमा कराता एवं बहियात में पूर्ण विक्रय घोषित भी किया हुआ था। अतः करापवंचन के अभाव में धारा 61 के तहत आरोपित-शास्ति विधिसम्मत नहीं है, केवल रिटर्न के विलम्ब शुल्क से बचने हेतु ही 'शून्य' रिटर्न प्रस्तुत किया गया था। कर निर्धारण अधिकारी ने उसी बिक्री पर करारोपण किया है। जो बहियात में दर्ज थी एवं संशोधित विवरण पत्र भी समयावधि के भीतर प्रस्तुत कर दिये गये थे। अतः धारा 61 की शास्ति को अपास्त करने में अपीलीय अधिकारी ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

फलतः राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

( मदनलाल मालवीय )

सदस्य

( राजीव चौधरी )  
सदस्य